

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-2/राज्या-08/2007- 1811 वर्ष 2010, राँची, दिनांक- 21/05/2019

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 में दिनांक- 05.10.2015 को पारित न्यायादेश में निहित निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग), भारत सरकार के संकल्प संख्या-का० आ० 3456(अ) दिनांक- 11.11.2016 द्वारा संसूचित काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा-निवेश 2016 के आलोक में काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुमति (License)/अनुमति (Permission) प्रदान करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-1055 दिनांक-09.03.2017 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग) के पत्रांक-F.No.3-3/2015-SU (Pt.) दिनांक-05.04.2019 के आलोक में उक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), झारखण्ड, राँची के स्थान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को राज्यस्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

- विभागीय अधिसूचना संख्या-1055 दिनांक-09.03.2017 के शेष अंश यथावत रहेंगे।
- यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

₹0/-

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/राज्या-08/2007- 1811 वर्ष 2010, राँची, दिनांक- 21/05/2019
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

₹0/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/राज्यांतर-08/2007-

व0प0, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव झारखण्ड, राँची/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची तथा मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु प्ररिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/राज्यांतर-08/2007-181)

व0प0, राँची, दिनांक- 21/05/2019

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिं. राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमुख पदाधिकारी झारखण्ड, राँची राज्य संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 19 एम० 5(5)19/2019 -1869

दिनांक : 21-05-19

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु प्ररिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राँची/अपर निदेशक उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/श्री प्रताप चन्द्र किंचिंगिया, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची/श्री एम०एस०ए० महालिंगम शिवा, निदेशक, समेति, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,

ह0/-

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।

ज्ञापांक : 19 एम० 5(5)19/2019 -1869

दिनांक : 21-05-19

प्रतिलिपि : ENVIS Cell को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
राँची।